NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No. 189/NCRES/2019 दिनांक 9.7.2019

श्रीमान महाप्रबंधक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय :– रेल आवासो के रख–रखाव में सुधार करना।
संदर्भ :– पी.एन.एम. मद सं0 05/9/2014 पर हुये निर्णय का कियान्वयन न होना।

महोदय,

अवगत कराना है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे में रेल के आवासो का रख–रखाव ठीक ढ़ंग से न हो पाने के कारण कर्मचारियों में बहुत असंतोष था जिसके कारण हेडक्वाटर PNM मद सं0 5/9/2014 में NCRES ने मांग किया कि आवासो के रख–रखाव के लिये सर्विस बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट, क्लब और अधिकारी आवासो के जोन से ग्रुप "सी" एवं "डी" कर्मचारियों के आवासो का जोन अलग किया जाय।

लगभग 5 वर्षो के बाद दिनांक 23 जनवरी 2019 के PNM बैठक में चर्चा के बाद निम्न निर्णय हुआ जो दिनांक 8.2.2019 को जारी मिनट्स के पेज नं0 21 पर दर्ज है।

"झांसी मण्डल में जोन के क्षेत्राधिकार में कोई समस्या नही है। इलाहाबाद एवं आगरा मण्डल को मुख्यालय से निर्देश दिया जायेगा कि प्रायोगिक आधार पर एक सहायक अभियन्ता के क्षेत्र में जोन का पुर्नवितरण इस आधार पर किया जाये कि सर्विस बिल्डिंग, अधिकारी आवास एवं कर्मचारी आवास के लिये अलग–अलग प्रावधान किया जाये। इंस्टीट्यूट एवं क्लब सर्विस बिल्डिंग के वर्ग में रखे जायें।"

खेद के साथ अवगत कराना है कि हेडक्वाटर पी.एन.एम. बैठक के निर्णय का कियान्वयन नही हुआ, अतः NCRES का अनुरोध है कि आप कृपया हस्तक्षेप करे ताकि रेल आवासो के रख–रखाव में सुधार आ सके।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री